न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 10/2021

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
रवि पुत्र हिम्मताराम जाति सीरवी निवासी बेरा आगलेचा का गोरवा, उचियार्ड़ा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. सुन्दरी पत्नी हिम्मताराम 2. भंवरलाल पुत्र हिम्मताराम 3. मुलीदेवी पुत्री हिम्मताराम जाति सीरवी निवासी बेरा आगलेचा का गोरवा उचियार्ड़ा, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :— वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैराकार

निर्णय दिनांक :—

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बड़ीखुर्द तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 105 रकबा 4.7246 हैक्टेयर, खसरा संख्या 106 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा संख्या 107 रकबा 0.6957 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108 रकबा 1.8688 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 4.8297 हैक्टेयर, खसरा संख्या 120 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा संख्या 121 रकबा 1.1650 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 09 कुल रकबा 14.5944 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व अन्य सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा का"तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 5/96 वॉ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 5/96 वॉ हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सवत् 2075 से 2078 में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से की उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता/पति हिम्मताराम के नाम से दर्ज थी, तथा हिम्मताराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 318 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में हिम्मताराम जी के स्थान पर दर्ज किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के उपरोक्त हिस्से की भूमि को वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **''ए''** से सम्बोधित किया गया है इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested

तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2703 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2719/2 रकबा 0.2427 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 02 कुल रकबा 0.3721 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी की खातेदारीसुदा, बंटसुदा व कब्जाका"तसुदा कृषि भूमि है। उपरोक्त खसरान की भूमि पूव में वादी के दादा रतनाराम जी के नाम से दर्ज थी, तथा वादी के दादा रतनाराम जी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 216 द्वारा रतनाराम जी के स्थान पर कालूराम, पुनाराम, मिश्रीलाल पिसरान रतनाराम, भंवरलाल (प्रतिवादी संख्या 2), टीलाराम (वादी) पिसरान हिम्मताराम, सुन्दरी (प्रतिवादी संख्या 1) पत्नी हिम्मताराम, केलीदेवी, सीतादेवी पुत्रिया रतनाराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया, तथा उपरोक्त सभी वारिसानों के मध्य बंटवाड़ा होने से उपरोक्त खसरान की भूमि वादी के बंट में रखी गयी। जो चालु जमाबन्दी संवत् 2075 स 2078 में वादी के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज है। जिसे वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **''बी''** से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2679 रकबा 0.1618 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व अन्य सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाका"तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें वादी का 1/12 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/12 वॉ हिस्सा दर्ज है। शेष हिस्से की भूमि अन्य सहखातेदार के नाम से दर्ज है। उपरोक्त खसरे की भूमि पूर्व में वादी के दादा रतनाराम जी के नाम से दर्ज थी, तथा वादी के दादा रतनाराम जी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 216 द्वारा रतनाराम जी के स्थान पर कालूराम, पुनाराम, मिश्रीलाल पिसरान रतनाराम, भंवरलाल (प्रतिवादी संख्या 2), टीलाराम (वादो) पिसरान हिम्मताराम, सुन्दरी (प्रतिवादी संख्या 1) पत्नी हिम्मताराम, केलीदेवी, सीतादेवी पुत्रिया रतनाराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। उपरोक्त खसरे की भूमि को वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **''सी''** से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2680 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2724 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.2751 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व अन्य सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाका"तसुदा कृषि भूमि है। उपरोक्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी के दादा रतनाराम जी व अन्य सहखातेदार के नाम से दर्ज थी, तथा वादी के दादा रतनाराम जी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे"ान संख्या 216 द्वारा रतनाराम जी के स्थान पर कालूराम, पुनाराम, मिश्रीलाल पिसरान रतनाराम, भंवरलाल (प्रतिवादी संख्या 2), टीलाराम (वादी) पिसरान हिम्मताराम, सुन्दरी (प्रतिवादी संख्या 1)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested

पत्नी हिम्मताराम, केलीदेवी, सीतादेवी पुत्रिया रतनाराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। उपरोक्त खसरान की भूमि को वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **''डी''** से सम्बोधित किया गया है। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2778 रकबा 0.1780 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2785 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.3803 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व अन्य सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाका”तसुदा कृषि भूमि है। उपरोक्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी के दादा रतनाराम जी व अन्य सहखातेदार के नाम से दर्ज थी, तथा वादी के दादा रतनाराम जी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे”ान संख्या 417 द्वारा रतनाराम जी के स्थान पर कालूराम, पुनाराम, मिश्रीलाल पिसरान रतनाराम, भंवरलाल (प्रतिवादी संख्या 2), टीलाराम (वादी) पिसरान हिम्मताराम, सुन्दरी (प्रतिवादी संख्या 1) पत्नी हिम्मताराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। उपरोक्त खसरान की भ्मि को वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **''ई''** से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 4144 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4146 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.1699 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व अन्य सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाका”तसुदा कृषि भूमि है। उपरोक्त खसरान की भूमि पूर्व में वादी के दादा रतनाराम जी व अन्य सहखातेदार के नाम से दर्ज थी जिसमें वादी के दादा रतनाराम जी का 1/3 हिस्सा दर्ज था, तथा वादी के दादा रतनाराम जी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे”ान संख्या 216 द्वारा रतनाराम जी के स्थान पर कालूराम, पुनाराम, मिश्रीलाल पिसरान रतनाराम, भंवरलाल (प्रतिवादी संख्या 2), टीलाराम (वादी) पिसरान हिम्मताराम, सुन्दरी (प्रतिवादी संख्या 1) पत्नी हिम्मताराम, केलीदेवी, सीतादेवी पुत्रिया रतनाराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। उपरोक्त खसरान की भूमि को वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **''एफ''** से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **ए,बी,सी,डी,ई,एफ** वाद पत्र के पद संख्या 1 से 6 में वर्णितानुसार वादी के पिता हिम्मताराम जी व वादी के दादा रतनाराम जी के फौत होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व रतनाराम जी के अन्य वारिसान के नाम से दर्ज हुई, तथा उस समय वादी नाबालिग था, तथा वादी को बचपन में स्नेह व प्यार से टीलाराम के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए वाद पत्र के पद संख्या 1 से 6 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **ए,बी,सी,डी,ई,एफ** के संबंध में वादी के पिता हिम्मताराम जी व वादी के दादा रतनाराम जी के फौतेदगी उपरान्त वादी का नाम फौतेदगी म्यूटे”ान व राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested

रेकर्ड जमाबन्दी में टीलाराम दर्ज किया गया। जो आज दिन तक दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी का सही नाम रवि है। जिसके संबंध में वजह सबूत वादी का आधार कार्ड, पैनकार्ड, पहचान पत्र व ड्राईविंग लाईसेन्स इत्यादि सरकारी दस्तावेज वाद पत्र के साथ पे”ा है। जिसमें वादी का सही नाम रवि दर्ज है। वादी के वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए,बी,सी,डी,ई,एफ के संबंध में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उसके दर्ज गलत नाम टीलाराम के कारण वादी किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा व ऋण इत्यादि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्राप्त नही कर पा रहा है। क्योकि सरकारी सुविधाओ को व ऋण इत्यादि को प्रदान करने हेतु आव”यक दस्तावेज के रूप में उपरोक्त सभी सरकारी दस्तावेजात सरकारी कर्मचारियों द्वारा मांगे जाते है तथा उपरोक्त सभी सरकारी दस्तावेज में दर्ज वादी का दर्ज नाम रवि व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत नाम टीलाराम एक समान नही है व न ही आपस में मिलान करता है। वादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने गलत नाम टीलाराम के स्थान पर सही नाम रवि दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 के पास दिनांक 03.09.2020 को गया तो प्रतिवादी संख्या 4 ने रेकर्ड दुरूस्ती करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि रेकर्ड दुरूस्ती हेतु श्रीमान सक्षम है। वादी उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज उसके गलत नाम टीलाराम के स्थान पर सही नाम रवि दूरूस्त व घोषित करवाना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्व. हिम्मताराम जी के वारिसान है तथा उनका नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में सहखातेदार के रूप में भी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्व. हिम्मताराम जी के वारिसान होने के कारण तथा प्रस्तुत वाद में आव”यक पक्षकार होने के कारण उन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाया गया है ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविकता आ सके। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में उनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में दर्ज अन्य सहखातेदार के विरूद्ध वादी द्वारा किसी भी प्रकार का इस वाद में अनुतोष नही चाहा है। इसलिए उनको प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया गया, न ही वो प्रस्तुत वाद में आव”यक पक्षकार है, व न ही प्रस्तुत वाद से उनका वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित हक व हिस्सा प्रभावित हो रहा है।

अन्त में निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि ए.बी.सी.डी.ई.एफ. के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का गलत नाम टीलाराम के स्थान पर सही नाम रवि दुरूस्त व घोषित किये जाने का आदे”ा फरमावे तथा मुताबिक आदे”ा अनुसार इन्द्राज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 को आदेि”ात किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उपस्थिति हेतु अवसर पदान किये गये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वयं अथवा इनकी ओर से कोई पैरोकार उपस्थित नही होने से तारीख पे”ाी 05.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरावाईज जवाब पे”ा किया गया तथा प्रस्तुत जवाब में वादग्रस्त कृषि भूमि ए.बी.सी.डी.ई.एफ में दर्ज वादी का नाम टीलाराम के स्थान पर रवि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 4 को कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने से तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दुरूस्ती हेतु आपति जाहिर नही किये जाने से तनकीयात की आव”यकता नही रही। वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 पे”ा किया तथा गवाह के रूप में अपनी माता सुन्दरी का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 2 पे”ा किया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 95 ग्राम बड़ी खुर्द प्रद”र्ा 1, जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 खाता संख्या 39 ग्राम बड़ी खुर्द प्रद”र्ा 2, जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 209 व 69 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय प्रद”र्ा 3 व 4, जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 खाता संख्या 944 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 प्रद”र्ा 5, जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 86 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय प्रद”र्ा 6, जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 खाता सख्या 941 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 प्रद”र्ा 7, जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 562 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय प्रद”र्ा 8, जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 खाता संख्या 74 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 प्रद”र्ा 9, जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 199 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 द्वितीय प्रद”र्ा 10, जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 खाता संख्या 1116 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 प्रद”र्ा 11, वादी का पहचान पत्र की प्रति प्रद”र्ा 12, आधारकार्ड की प्रति प्रद”र्ा 13, पैन कार्ड की प्रति प्रद”र्ा 14, ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति प्रद”र्ा 15 प्रद”िर्ात करवाये।

वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर व प्रतिवादी संख्या 4 की दुरूस्ती के सम्बंध में अनापति के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि ए.बी.सी.डी.ई.एफ. के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत नाम टीलाराम के स्थान पर सही नाम रवि दुरूस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए वादी का वा[illegible] किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बड़ीखुर्द [illegible] में स्थित भूमि खसरा संख्या 104

रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 105 रकबा 4.7246 हैक्टेयर, खसरा संख्या 106 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा संख्या 107 रकबा 0.6957 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108 रकबा 1.8688 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 4.8297 हैक्टेयर, खसरा संख्या 120 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा संख्या 121 रकबा 1.1650 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 09 कुल रकबा 14.5944 हैक्टेयर व गाम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2703 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2719/2 रकबा 0.2427 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 02 कुल रकबा 0.3721 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2679 रकबा 0.1618 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2680 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2724 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.2751 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2778 रकबा 0.1780 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2785 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.3803 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 4144 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4146 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.1699 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम टीलाराम पुत्र हिम्मताराम के स्थान पर रवि पुत्र हिम्मताराम दुरूस्त व घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल"ाुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
रवि पुत्र हिम्मताराम जाति सीरवी निवासी बेरा आगलेचा का गोरवा, उचियार्ड़ा बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. सुन्दरी पत्नी हिम्मताराम 2. भंवरलाल पुत्र हिम्मताराम 3. मुलीदेवी पुत्री हिम्मताराम जाति सीरवी निवासी बेरा आगलेचा का गोरवा उचियार्ड़ा, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 10/2021

निर्णय दिनांक :—

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू मरे व हाजिर श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बड़ीखुर्द तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 105 रकबा 4.7246 हैक्टेयर, खसरा संख्या 106 रकबा 0.2751 हैक्टेयर, खसरा संख्या 107 रकबा 0.6957 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108 रकबा 1.8688 हैक्टेयर, खसरा संख्या 118 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा संख्या 119 रकबा 4.8297 हैक्टेयर, खसरा संख्या 120 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा संख्या 121 रकबा 1.1650 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 09 कुल रकबा 14.5944 हैक्टेयर व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2703 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2719/2 रकबा 0.2427 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 02 कुल रकबा 0.3721 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2679 रकबा 0.1618 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2680 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2724 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.2751 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 2778 रकबा 0.1780 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2785 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.3803 हैक्टेयर व राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 4144 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4146 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 0.1699 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम टीलाराम पुत्र हिम्मताराम के स्थान पर रवि पुत्र हिम्मताराम दुरूस्त व घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी

बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:47 IST
Reason: SelfAttested